न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बिचून, तहसील मौजमाबाद
शिविर प्रभारी अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 67/2015
वाद दायरी दिनांक : 17/06/2015
निर्णय दिनांक : 31/05/2017

1. मोहनलाल पुत्र मदनलाल जाति राणा निवासी सोरठो को बास बडवों का मौहल्ला बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. गुडडी देवी पुत्री मदनलाल जाति राणा निवासी सोरठो को बास तन बिचून तहसील मौजमाबाद हाल निवासी रघुनाथजी का चौक गुढा राजावत तहसील नावां जिला नागौर राज0।

—— वादीगण

बनाम

1. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. प्रदीप कुमार पुत्र रामकुंवार, जाति राणा, निवासी बडवो का मौहल्ला, बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. सोनी उर्फ निर्मला पत्नी गोहनलाल जाति राणा निवासी सोरठो का बास बिचून हाल निवासी गुढाबैरसल तन बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी
(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0–1955)

उपस्थिति – श्री गिरधारीलाल बोचल्या
श्री बलवन्त सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री कैलाशचन्द रोज
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
श्री लोकेन्द्र सिंह राठौड
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 31/05/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण आपस मे भाई बहिन है एवं स्वर्गीय मदनलाल की जायंदा पुत्र/पुत्री है एवं स्व0 भानू के

Scanned by CamScanner

भतीजे–भतीजा है, खाता नम्बर 63 की आराजी खाता नम्बर 113 रकबा 2.56 बा03 खाता नम्बर 115 रकबा 1.17 बारानी 2 किता 2 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम सोरठो का बास पटवार हल्का बिचून तहसीलदार हल्का मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे भानू पुत्र नारायण जो वादीगण का काका लगता था 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था और उसके नाम खातेदारी का अंकन है। उक्त खातेदार में भानू उर्फ कन्हैया का दिनांक 5/6/82 को स्वर्गवास हो गया जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न है। उक्त भानू नाऔलाद फोत हुआ है उसके कोई जायंदा पुत्र/पुत्री नही है केवल मात्र वादीगण जो उसके सगे भतीजे/ भतीजा है नजदीकी वारिस है और उक्त भानू की छोडी हुयी 1/4 हिस्से की आराजीयात में समान भाग के खातेदार काश्तकार हे एवं उसके व उसकी पत्नि के स्वर्गवास बाद उसकी छोडी हुयी आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है व वर्तमान में भी काबिज काश्त है।यह कि वादीगण के उक्त भानू के स्वर्गवास बाद उसकी छोडी हुयी 1/4 हिस्से के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व कानूनकारी प्रावधानों के अनुसार उसके हिस्से के अधिकारी है वादीगण ने दिनांक 10/05/2015 को पटवारी हल्का को उपरोक्त आराजीयात जो स्व0 भानू की छोडी हुयी है कि खातेदारी नामान्तरणकरण खुलाने को कहा तो उन्होने पटवारी हल्का ने तहसीलदारजी से निवेदन कर आदेश लाने को कहा जिस पर वादीगण दिनांक 11/05/2015 को तहसीलदारजी से स्व0 भानू की छोडी हुयी आराजी का नामा0 खुलाने को निवदेन किया तो उन्होने नियमानुसार सक्षम न्यायालय मे वाद पेश कर भानू की छोडी हुयी आराजी के 1/4 हिस्से की घोषणा कराने की हिदायत दी अत वादीगण के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी विरूद प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आमर फरमायी जावे कि विवाद ग्रस्त आराजी ख0 न0 113,115 किता 2 कुल रकबा 3.73 है0 वाके सोरठो का बास पटवार हल्का बिचून गि0 ह0 मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद मे भानू पुत्र नारायण के छोडे हुये 1/4 हिस्से के वादीगण मृतक के नजदीकी वारिस होने से समान भाग के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 26/06/2015 को पत्रावली कैम्प कोर्ट मौखमपुरा में पेश हुई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 जा0दी0 पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 29/05/2015 को वकील श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा एक

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 व 151 सीपी.सी. पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया, जिस पर वकील वादी द्वारा अनापत्ति का अंकन कर अपने हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 व 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया।

दिनांक 14/09/2016 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एडवोकेट कैलाशचन्द रेज द्वारा वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 31/05/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट बिचून में पेश हुई। कैम्प में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार उपस्थित हुआ। वकील पक्षकारान द्वारा दृश्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा पैरोकार की बहस कैम्प कोर्ट बिचून में मजमा–ए–आम में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्त पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी खाता संख्या 33 सम्वत 2071 से 2074 वाके ग्राम सोरठो का बास, छायाप्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र भानू दिनांक 23/09/2013 एवं छायाप्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र कलावती एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादी ने अपने वाद–पत्र में अंकित किया कि "वादीगण आपस में सगे भाई है एवं मदनलाल के जायन्दा पुत्र/पुत्री एवं स्व0 भानू के भतीजे–भतीजी हैं। विवादित आराजी वादीगण के काका भानू उर्फ कन्हैयालाल दिनांक 05/0 /1982 को नाऔलाद फौत हो चुका है उसकी पत्नी कलावती का भी दिनांक 07/04/2007 को स्वर्गवास हो चुका है, स्व0 भानू के कोई जायन्दा पुत्र/पुत्री नही है, इसलिये स्व0 भानू के वादीगण जो कि स्व0 भानू के भाई मदनलाल के पुत्र है, वे ही नजदीकी वारिस है, इसलिये स्व0 भानू के नाम से दर्ज आराजी का वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।" वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में दर्ज सजरा अनुसार वादीगण के पिता मदनलाल एवं भानू सगे भाई होना एवं मदनलाल के वादीगण वारिस होना साबित होती हैं। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण से भानू की मृत्यु दिनांक 05/06/1982 को एवं उसकी पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 07/0 /2007 को होना साबित है, इस सम्बन्ध में

Scanned by CamScanner

मजमे आम में जानकारी करने पर भी यह ही पाया गया कि स्व0 भानू के कोई जायन्दा वारिस नही हैं। मृतक भानू उर्फ कन्हैया पुत्र नारायण के प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने से मृतक की सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार द्वितीय श्रेणी के वारिसो का अधिकार उत्पन्न होता है। मृतक भानू उर्फ कन्हैया के द्वितीय श्रेणी के वारिस श्रीमति सोनी (बहन), श्री मोहनलाल (भाई का पुत्र), श्रीमति गुड्डी देवी(भाई की पुत्री) द्वितीय श्रेणी के वारिस है। चुंकि श्रीमति सोनी देवी ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यदि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, मुझे कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर श्री मोहनलाल पुत्र श्री मदनलाल जाति राणा एवं श्रीमति गुड्डी देवी पुत्री श्री मदनलाल जाति राणा को मृतक श्री भानू उर्फ कन्हैया पुत्र नारायण जाति राणा की कृषि भूमि खाता संख्या 63 के आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 2.56 हैक्टेयर बारानी–।। व खसरा नम्बर 115 रकबा 1.17 हैक्टेयर बारानी–।। कुल किता 02 कुल रकबा 3.73 हैक्टेयर वाके ग्राम सोरठो का बास, पटवार क्षैत्र बिचून तहसील मौजमाबाद के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31/05/17 को मजमे आम ग्राम पंचायत बिचून में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर

शिविर प्रभारी / सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31: '12

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू, जिला जयपुर (राज०)

व इजलास श्री त्रिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.

1. मोहनलाल 2. गुड्डी देवी पि० मदनलाल, जाति राणा बनाम 1. [illegible], 2. प्रदीप कुमार पुत्र रामकुमार, 3. मैना उर्फ निर्मला पुत्री मोहनलाल जाति राणा नि. ग्राम [illegible] दावा बावत घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं. 87/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गिरधारीलाल [illegible], श्री बलवीर सिंह यादव, एड.

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री कैलाशचन्द राव, श्री लोकेन्द्र सिंह एड.

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा-पत्र स्वीकार किया जाकर श्री मोहनलाल पुत्र श्री मदनलाल जाति राणा एवं श्रीमति गुड्डी देवी पुत्री श्री मदनलाल जाति राणा का मृतक श्री नाथू उर्फ [illegible] पुत्र नारायण जाति राणा की कृषि भूमि खाता सं. 63 के आराजी ख०नं० 113 रकबा 2.56 हे० बारानी -।। व ख०नं० 115 रकबा 1.17 हे० बारानी -।। कुल किता 02 कुल रकबा 3.73 हे० वाके =)

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी [illegible] आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 05 सन् 2017 को

जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प [illegible] जह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

=) ग्राम कोटणी का बाग, पलवार कोठी बिरना तह० मौजाबाद के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
दूदू

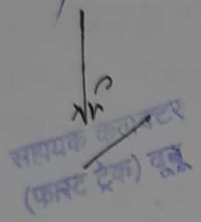

3/5/17. आज यह पत्रावली [illegible] अदालत
[illegible] पेश हुई। वकील
प्रार्थनापत्र उपस्थित [illegible] उपस्थित वकील प्रार्थनापत्र
द्वारा [illegible] पेश कर [illegible] बहस [illegible]
जाहिर किया। वकील प्रार्थनापत्र व [illegible] की
बहस को सुना गया। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। बाद बहस वादग्रस्त
का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत
होता है। अतः वादग्रस्त का वाद स्वीकार
किया जाकर निर्णीत किया जाता है। निर्णय
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल
की [illegible] जाती है। पत्रावली [illegible]
[illegible] होकर [illegible] की जाती है।